क्या शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा?

भारत डोगरा

शिक्षा के अधिकार का कानून तो बन गया, पर सरकारी स्कूलों में सारी ज़रूरी सुविधाएं जुटाने का कार्य अभी बहुत पीछे है। शिक्षा के अधिकार के कानून में जिन ज़रूरी सुविधाओं व प्रावधानों का ज़िक्र है, उन सबको पूरा करने में अभी लगभग 10 प्रतिशत सरकारी स्कूल ही सक्षम है। अतः यह बहुत ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर करने के लिए व शिक्षा का अधिकार कानून के सही क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी संसाधनों की व्यवस्था की जाए।

केंद्र सरकार के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए वर्ष 2013-14 में 46,856 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी जो अगले वर्ष 2014-15 में कम होकर 45,722 करोड़ रुपए हो गई। अगले वर्ष 2015-16 के संशोधित अनुमान से पता चला कि इस विभाग पर बजट और कम होकर 42,187 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2016-17 के बजट में इस विभाग का बजट मामूली-सा बढ़ाकर 43,554 करोड़ रुपए किया गया है। अर्थात वर्ष 2013-14 के विभागीय बजट (46,856 करोड़ रुपए) की तुलना में वर्ष 2016-17 की बजट राशि 3302 करोड़ रुपए कम है।

वैसे तो बजट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था पर यदि बजट न भी बढ़ाया जाए तो केवल महंगाई के असर को रोकते हुए पहले जितने संसाधन बनाए रखने के लिए भी इस बजट में कुछ वृद्धि तो होनी ही चाहिए थी। पर मात्र 3 वर्षों में 3000 करोड़ रुपए से अधिक की कटौती तो कुछ अलग ही कहानी बता रही है।

यदि संसाधनों की ऐसी कमी बनी रही तो स्कूली शिक्षा व साक्षरता में ज़रूरी सुधार कैसे होगा व शिक्षा के अधिकार का सही क्रियान्वयन कैसे होगा?

केंद्र सरकार का कहना है कि जो कमी केन्द्रीय स्तर के बजट में नज़र आ रही है उसकी कमी राज्य सरकारें पूरा करेंगी क्योंकि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उन्हें पहले से अधिक वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं।

यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि केन्द्र सरकार के बजट की कमी को राज्य सरकारें कहां तक पूरा कर पाएंगी पर इस समय तो स्थिति चिंताजनक ही नज़र आ रही है।

शिक्षक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। मगर यह चिंता का विषय है कि वर्ष 2015-16 के बजट में इसके लिए 1397 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, बाद में प्रस्तुत किए गए संशोधित अनुमान में इसे 1203 करोड़ रुपए तक कम कर दिया गया। वर्ष 2016-17 के बजट में इसके लिए मात्र 879 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

मदरसों व अल्पसंख्यकों की शिक्षा की स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 में 376 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जिसे संशोधित अनुमान में 336 करोड़ रुपए तक कम किया गया जबकि वर्ष 2016-17 के बजट में मात्र 120 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई है।

स्पष्ट है कि शिक्षा हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि ज़रूरी है। ***(स्रोत फीचर्स)***